तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/11/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीयागण उप० पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में पटवारी हल्का भोजवाड़ा का फर्द मौका ग्राम नयागांव तहसील बांदीकुई दिनांक 18/06/2025 पत्रावली में पूर्व से मौजूद है। प्रार्थीयागन वकील द्वारा प्रा०पत्र मूल पर सीधे बहस की गयी। हमने प्रार्थीयागण वकील बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। फर्द मौका ग्राम नयागांव दिनांक 18/06/2025 का अवलोकन किया। जिसमें शांति पुत्री रामसिंह के बजाय शान्ति पत्नी स्व. रामसिंह शुद्ध करने की अभिशंषा की गयी है। प्रार्थीया संख्या 3 मलौदा पुत्री रामसिंह के स्थान पर राजन्ती देवी पुत्री रामसिंह शुद्ध किये जाने के संबंध में कोई अंकन नहीं किया गया है न ही प्रार्थीयागण द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली में पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि मलौदा एवं राजन्ती एक ही है। अतः प्रार्थीयागन वकील बहस पर मनन करने व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीयागण प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फैसला सुनाया होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 19/11/25

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं
मु.न. 114 / 2025
दर्ज दिनांक 05.08.2025
निर्णय दिनांक 19.11.2025

1. शान्ति पत्नि स्व. रामसिंह जाति गु
2. केशन्ता पुत्री स्व. रामसिंह जाति
3. राजन्ती देवी पुत्री स्व. रामसिंह प
सुमेल कलां तहसील बांदीकुई ि

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसी

(प्रार्थना

प्रार्थना पत्र धारा 136
न्यायालय में पेश किया गया ि
हल्का भोजवाडा तहसील बांद
रकबा 0.40 हैक्टे., कुल किता
काश्तकार है तथा काबिज हो
संवत 2076–79 पेश है। वाद
है। जिसमें प्रार्थीयागणं ने पि
प्रार्थी सं. 0,1 शांति का पति
दिया एवं प्रार्थीया राजन्ती दे
देवी एक ही महिला है। र
प्रार्थीया का नाम राजन्ती दे
01 का शांति देवी का नाम
पुत्री रामसिंह गलत अंकि
दिया जबकि राजन्ती दे
राजन्ती देवी अंकित है।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

मु.न. 114/2025

दर्ज दिनांक 05.08.2025

निर्णय दिनांक 19.11.2025

उनवान

1. शान्ति पत्नि स्व. रामसिंह जाति गुर्जर निवासी नयागाँव तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. केशन्ता पुत्री स्व. रामसिंह जाति गुर्जर निवासी नयागाँव तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
3. राजन्ती देवी पुत्री स्व. रामसिंह पत्नि रामहंस जाति गुर्जर निवासी नयागाँव, हालनिवासी सुमेल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थीयागण..........।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा (राज.)।

अप्रार्थी ....।

(प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय

दिनांक 19.11.2025

प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का प्रार्थियागण की ओर से जरिये वकील न्यायालय में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—ग्राम नयागाँव पटवार हल्का भोजवाडा तहसील बांदीकुई के खाता सं. नया 15 पुराना 12 के खसरा नं. 262 रकबा 0.40 हैक्टे., कुल किता 01 कुल रकबा 0.40 स्थित है, जिसका प्रार्थीयागण खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर उपयोग—उपभोग करती चली आ रही है। नकल जमाबंदी संवत 2076—79 पेश है। वादपत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि प्रार्थीयागण की पैतृक भूमि है। जिसमें प्रार्थीयागणं ने पिता/पति रामसिंह की मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तकरण में प्रार्थी सं. 0,1 शांति का पत्नि रामसिंह के स्थान पर पुत्री रामसिंह का गलत इन्द्राज कर दिया एवं प्रार्थीया राजन्ती देवी का घर का नाम मलौदा दर्ज कर दिया। मलौदा व राजन्ती देवी एक ही महिला है। राजन्ती देवी को घर पर मलौदा भी कहते है व दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम राजन्ती देवी है। राजन्ती देवी उर्फ मलौदा एक ही महिला है। प्रार्थीया सं. 01 का शांति देवी का नाम जमाबन्दी में शांति देवी पत्नि रामसिंह के स्थान पर शांति देवी पुत्री रामसिंह गलत अंकित कर दिये एवं प्रार्थीया राजन्ती देवी का नाम मलौदा दर्ज कर दिया जबकि राजन्ती देवी के के आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का नाम राजन्ती देवी अंकित है। जमाबन्दी में शांति देवी पुत्री रामसिंह एवं मलौदा पुत्री रामसिंह

अंकित होने से व अन्य समस्त दस्तावेजात में जैसे आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड आदि में शांति देवी पत्नि रामसिंह एवं राजन्ती देवी पुत्री रामसिंह पत्नि रामहंस नाम होने से प्रार्थीया प्रधानमंत्री कृषक योजना एवं किसान आई.डी. आदि बनवाने से महरूम हो रही है। इसलिए प्रार्थीया का नाम जमाबन्दी में शांति पत्नि रामस्वरूप एवं राजन्ती पुत्री रामसिंह दर्ज किया जाना कानूनन न्याय संगत है। प्रार्थीयागण का ग्राम नयागाँव में स्थित भूमि खाता सं. 100 में प्रार्थीयागण का सही नाम अंकित है। नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 पेश है। बिनाय दावा, बिनाय मुखारमत दिनांक 01.06.2025 को प्रार्थीया द्वारा हल्का पटवारी से अपनी भूमि की कृषक आई.डी. बनवाने हेतु आवेदन करने पर दस्तावेजात व जमाबन्दी में नाम अलग होने से हल्का पटवारी ने कृषक आई.डी. बनाने से इन्कार कर दिया तब उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होने से दुरूस्ती करवाने हेतु वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीया द्वारा उप तहसीलदार महोदय देलाडी के समक्ष जमाबन्दी में दर्शित इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 18.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा ग्राम नयागाँव में उपस्थित होकर तथा ग्रामवासियों से जानकारी कर अपनी फर्द मौका रिपोर्ट बनायी जिसमें भी प्रार्थीया का वलदीयत शांति पत्नि रामसिंह होना दर्शित किया। नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 पेश है। प्रार्थीया व भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र दुरूस्ती हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुच्छेद तीन एवं पाँच के प्रावधानानुसार कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। वाद कारण उत्पन्न होने के बाद तीन वर्ष की समय सीमा निश्चित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया सं. 01 का नाम शांति पुत्री रामसिंह के स्थान पर शांति पत्नि रामसिंह एवं प्रार्थीया सं. 03 मलौदा पुत्री रामसिंह के स्थान पर राजन्ती देवी पुत्री रामसिंह की इन्द्राज किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। प्रकरण वादी साक्ष्य/टीडीआर रिपोर्ट में नियत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम नया गांव दिनांक 18.06.2025 मौजुद है। जिसमें शान्ति पुत्री रामसिंह के बजाय शान्ति पत्नी स्व0 रामसिंह शुद्ध करने की अभिशंषा की गई है। प्रार्थी संख्या 3 मलौदा पुत्री रामसिंह के स्थान पर राजन्ती देवी पुत्री रामसिंह शुद्ध किये जाने के संबंध में कोई अंकन नही किया गया है। नाही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली में पेश नही किया गया है जिससे यह सिद्ध हो की मलौदा एवं राजन्ती देवी एक ही है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थियागण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थियागण द्वारा पेश प्रार्थना धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम नयागाँव पटवार हल्का भोजवाडा तहसील बांदीकुई के खाता सं. नया 15 पुराना 12 के खसरा नं. 262 रकबा 0.40 हैक्टे., कुल किता 01 कुल रकबा 0.40 स्थित है, में प्रार्थीया संख्या 1 का दर्ज गलत नाम शान्ति पुत्री रामसिंह के स्थान पर सही

Scanned with OKEN Scanner

नाम शान्ति पत्नि रामसिंह दर्ज किया जावे। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा उक्त निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 19/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner